-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ नकबजनी के मुकदमें में वांछित चल रहे 02 घायल बदमाश सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी का विवरण:-

- **5,600/- रुपये नगद**
- **02 तमंचे 315 बोर,**
- **03 जिंदा/05 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **01 कार घटना में प्रयुक्त (मारुति एरटिगा कार)**
- **01 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **01 मंगलसूत्र पीली धातु**
- **04 अंगूठी पीलीधातु**
- **01 लोंग पीली धातु**
- **14 सिक्के सफेद धातु**
- **03 जोडी बच्चे के कंगन सफेद धातु**
- **09 बिछुवे सफेद धातु**
- **01 लोटा सफेद धातु**
- **01 जोडी कानो के कुन्डल पीली धातु**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 05.09.2024 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक नागल मय फोर्स के इसाकपुर तिराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैंकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को खेड़ामुगल देवबंद रोड़ की तरफ से ग्राम ताजपुर की और जाने वाली रोड़ पर एक संदिग्ध कार आती दिखायी दी पुलिस टीम द्वारा टार्च से कार चालक को रुकने का इशारा किया गया । इस पर कार चालक हड़बड़ी में कार को वापस मौड़ने लगा जिस कारण कार का एक पहिया सड़क किनारे खेत में चले जाने से कार रुक/फंस गई, पुलिस टीम का अपने नजदीक आता देख कार सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और खेतो की तरफ भागने लगे । आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये व बदमाशो के 03

अन्य साथियों को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया, 02 घायल बदमाशों सहित सभी पांचो को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाशो की पहचान **1. गुड्डु पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम भगौली थाना टाण्डा जनपद धार (मध्य प्रदेश)** व **2. पाताल सिंह उर्फ पातालिया पुत्र रिच्छु निवासी ग्राम बुडारिया थाना टाण्डा जिला धार (मध्यप्रदेश)** के रूप में हुई है। थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस सम्बन्धित शुगर मिल गागनौली में एक साथ आठ घरों में हुई नकबजनी/चोरी की घटना में सभी वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। **अन्य तीन बदमाशों की पहचान 1. छोटु पुत्र रेव सिंह ग्राम नरवाली थाना टाण्डा जिला धार (मध्यप्रदेश), 2. गंगू पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम गूडा थाना टाण्डा जिला धार (मध्य प्रदेश) व 3. गणपत उर्फ गणेश पुत्र दितिया निवासी रणजीतगढ थाना बोरी जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)** के रुप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डु के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा / 03 खोखा कारतूस 315 बोर एंव पाताल सिंह से 01 तमंचा 315 बोर 02 जिंदा/ 02 खोखा कारतूस 315 बोर, पीली व सफेद धातु के आभूषण व 5600/- रुपये नगद, 01 मारुति एरटिगा कार व 01 फर्जी नंबर प्लेट बरामद। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0स0- 250/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा असम, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश आदि राज्यो मे चोरी कई घटनाए कारित की है। जिसके सम्बन्ध अभियुक्तगणो के अपराधिक इतिहास के बारे मे समस्त राज्यो से जानकारी की जा रही है। थाना नागल पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- चोरी की घटना बजाज सुगर मील गाँगनौली एव अन्य अपराध कारित करने के सम्बन्ध मे गहनता से पूछताछ की गयी तो गिरफ्तार पांचो अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर मे बताया कि हम सभी लोग मध्य प्रदेश मे जिला धार के रहने वाले है तथा आदिवासी लोग है हम लोग राजस्थान गुजरात व महारष्ट्र हरियाणा दिल्ली बिहार झारखण्ड यूपी व असम आदि राज्यो मे घूम फिरकर घरो मे एव बडी-बडी फैक्ट्रियो मे बन्द पडे मकानो मे चोरी डकैती व लूट आदि की घटनाए कारित करते है। हम लोगो द्वारा दिनाँक का रात्री मे एक गन्ना मील मे 21.08.24/20 बन्द पडे कुछ मकानो मे चोरी की थी। जिसमे हमेबहुत सारे जेवरात व नकदी मिली थी। गन्ना मील की चोरी मे हमारे साथ हमारा **गैंग लीडर भारत उर्फ भरत पुत्र भंवर सिंह निवासी बगोली थाना टांडा जिला धार राज्य मध्य प्रदेश** भी शामिल था। उस घटना मे मिले जेवरात व रूपयो मे से ज्यादातर सामान हमारे गैंग लीडर भारत उर्फ भरत के पास ही है। भारत उर्फ भरत ही चोरी के सामान को बेचता है। आज हम पाँचो लोग फिर किसी चोरी के लिये ही आये थे। आज हमारा लीडर भारत किसी जरूरी काम के कारण हमारे साथ नही आया था। आज हम लोगो के पास से जो जेवरात व रूपये मिले है। वह उसी गन्ना मील से चोरी किये गये थे। हम सभी के द्वारा पूर्व मे भी दिनाँक 21.07.24/20 की रात्री मे असम राज्य के जिला चिराग के थाना क्षेत्र काजलगंजके ढालीगाँव मे एक घर मे घुसकर चोरी की थी। तथा दिनाँक को झारखण्ड राज्य के जिला बोकारो के थाना गोमीया क्षेत्र मे भी एक घर मे घुसकर चोरी 19.08.2024/18 की रात्री 01.09.2024 व 31.08.2024 की थी। वहाँ से हमने काफी जेवरात व नकदी चोरी की थी। इसके बाद दिनाँक मे झारखण्ड के बोकारो जनपद मे लालपनिया जगह भी दो घरो मे चोरी की थी। लालपनिया से हमने काफी गहने और जेवरात चोरी किये थे। हम घूमफिरकर अपराध कारित करते रहते है तथा लूट तथा डकैती डालकर एव चोरी के माल/रूपयो को अपने एश और आराम एवं मौज मस्ती करने में खर्च करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. गुड्डु पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम भगौली थाना टाण्डा जनपद धार (मध्य प्रदेश)
2. पाताल सिंह उर्फ पातालिया पुत्र रिच्छु निवासी ग्राम बुडारिया थाना टाण्डा जिला धार (मध्यप्रदेश)
3. छोटु पुत्र रेव सिंह ग्राम नरवाली थाना टाण्डा जिला धार (मध्यप्रदेश)
4. गंगू पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम गूडा थाना टाण्डा जिला धार (मध्य प्रदेश)
5. गणपत उर्फ गणेश पुत्र दितिया निवासी रणजीतगढ थाना बोरी जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)

बरामदगी का विवरणः-

02 देशी तमंचे 315 बोर, 03 जिंदा/05 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मारुति कार ERTIGA, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, 5600/- रुपये नगद, 01 लाक कटर, नकबजनी के उपकरण (01 पेंचकस, 01 स्क्रू रिंच, 01 लोहे की राड जमूडा), 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 04 अंगूठी पीलीधातु, 01 लोंग पीली धातु, 14 सिक्के सफेद धातु, 03 जोडी बच्चे के कंगन सफेद धातु, 09 बिछुवे सफेद धातु, 01 जोडी कानो के कुन्डल पीली धातु व 01 लोटा सफेद धातु बरामद

अभियुक्त गुड्डु उपरोक्त का आपरधिक इतिहास-

1. मु भादवि थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश 380/379 धारा 12/08 0सं0अ0
2. मु भादवि थाना टाण्डा जिला धार 34/506/325/323/294 धारा 13/166 0सं0अ0मध्य प्रदेश
3. मु332/353/186 धारा 14/41 0सं0अ0/323/307 भादवि थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश
4. मु305/(4)331 धारा 24/235 0सं0अ0/ (3)345 /(4) 318/(2)317बी0एस0एन0 थाना नागल जिला सहारनपुर
5. मुआर्म्स एक्ट 27/25/3 व 0एस0एन0बी 109 धारा 24/250 0सं0अ0 थाना नागल जिला सहारनपुर

अभियुक्त पाताल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुभादवि थाना निवाई जिला टोक राजस्थान 43/380/457/149 धारा 22/459 0सं0अ0
2. मु305/(4)331 धारा 24/235 0सं0अ0/ (3)345 /(4) 318/(2)317बी0एस0एन0 थाना नागल जिला सहारनपुर
3. मुआर्म्स एक्ट 27/25/3 व 0एस0एन0बी 109 धारा 24/250 0सं0अ0 थाना नागल जिला सहारनपुर

अभियुक्त गंगू पुत्र भंवर सिंह निवासी गूडा थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश

1. मु305/(4)331 धारा 24/235 0सं0अ0/ (3)345 /(4) 318/(2)317बी0एस0एन0 थाना नागल जिला सहारनपुर
2. मु 27/25/3 व 0एस0एन0बी 109 धारा 24/250 0सं0अ0आर्म्स एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर

अभियुक्त गणपत उर्फ गणेश पुत्र दितिया निवासी रणजीतगढ थाना बोरी जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश

1. मु305/(4)331 धारा 24/235 0सं0अ0/ (3)345 /(4) 318/(2)317बी0एस0एन0 थाना नागल जिला सहारनपुर
2. मुआर्म्स एक्ट 27/25/3 व 0एस0एन0बी 109 धारा 24/250 0सं0अ0 थाना नागल जिला सहारनपुर

अभियुक्त छोटू पुत्र रेव सिंह निवासी नरवाली थाना टाण्डा धार मध्य प्रदेश का आपराधिक इतिहास

1. मु भादवि थाना बोरी जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश 411/392 धारा 23/52 0सं0अ0
2. मु भादवि थाना सरदारपुर 380/457 धारा 14/458 0सं0अ0जिला धार मध्य प्रदेश
3. मु रपुरभादवि थाना सरदा 34/506/294/332/353 धारा 24/527 0सं0अ0
4. मु305/(4)331 धारा 24/235 0सं0अ0/ (3)345 /(4) 318/(2)317बी0एस0एन0 थाना नागल जिला सहारनपुर
5. मुआर्म्स एक्ट 27/25/3 व 0एस0एन0बी 109 धारा 24/250 0सं0अ0 थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नागल जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जावेद खान प्रभारी सर्विलांस सेल सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री दीपक कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नागल जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
8. उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
9. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
10. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर।
11. उ0नि0 श्री शुभम कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
12. है0का0 (चालक) 1104 पुष्पेन्द्र कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।
13. हे0का0 अमरदीप कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
14. हे0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस सेल सहारनपुर।
15. का0 गौरव राठी स्वाट टीम सहारनपुर।
16. का0 2359 अरविन्द थाना नागल जनपद सहारनपुर।
17. का0 2277 ज्ञानवीर थाना नागल जनपद सहारनपुर।
18. का0 (चालक) कपिल कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 06-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल, 01 अवैध चाकू व 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर वाहन चोर **अभियुक्तगण 1- मोबीन पुत्र जरीफ निवासी ग्राम छोटा लापरा थाना सदर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा, 2- अकरम पुत्र मोमीन नि0 ग्राम छोटा लापरा थाना सदर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा व 3- बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी कस्बा व थाना गोला जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश व हाल पता आनन्द विहार कालोनी असलम के घर पर भगवानपुर हरिद्वार राज्य उत्तराखण्ड** को भगवानपुर रोड पर चौकी काली नदी की तरफ हरियाबांस फ्लाईओवर से आगे दाहिनी तरफ बनी दुकानों के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की **04 मोटरसाइकिल (01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस चेचिस नम्बर MBLHA10ERAGA50819, इंजन नम्बर HA10EDAGA58441, 01 मोटरसाइकिल ग्रीन यैलो बजाज सीटी 100 चेचिस नम्बर MD2837AX4LAD52208, 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर चेचिस नम्बर 00CZ0C07409 व 01 हीरो स्पलैण्डर काली नीली जिसका इंजन नं0- HA10EA89B61527), 01 अवैध चाकू व 01 तमन्चा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 174/24 धारा 317(4)/317(5)/318(4)/336(2)/338/340(2) बी0एन0एस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण अकरम व मोमीन ने पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग मोटरसाइकिलों को अलग-अलग जगहों से चोरी कर इकट्ठा करते हैं तथा इनके चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर तथा मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन प्लेट को हटा देते है। जिससे कि मोटरसाइकिलों की पहचान न हो सके। बिलाल द्वारा बताया गया कि आज मुझे अकरम व मोमीन ने कहा था कि हम लोग चार मोटरसाइकिल लेकर आयेंगे तुम पैसे तैयार रखना और मुझे ग्राम गागलहेडी में बुलाया था जिससे मैं इन मोटरसाइकिलों को आने जाने वाले किसी वाहन में रखकर अपनी दुकान भगवानपुर में ले जाकर इन मोटरसाइकिलों का स्क्रैप बनाकर आगे बेच दिया करता हूँ। हम लोगों ने पूर्व में भी बिलाल को कई बार मोटरसाइकिल व सरसावा क्षेत्र व यमुना पार कर आसपास के गाँवों के खेतों से चोरी किये गये सबमर्सेविल, टुल्लू पम्प व स्टार्टर, बिजली की मोटर आदि कर इकट्ठा करके बिलाल को बेची है। जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता था जिसे हम अपने खाने खर्चे व शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1- मोबीन पुत्र जरीफ निवासी ग्राम छोटा लापरा थाना सदर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा

2- अकरम पुत्र मोमीन नि0 ग्राम छोटा लापरा थाना सदर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा

3- बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी कस्बा व थाना गोला जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश व हाल पता आनन्द विहार कालोनी असलम के घर पर भगवानपुर हरिद्वार राज्य उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरणः-

1- मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस चेचिस नम्बर MBLHA10ERAGA50819, इंजन नम्बर HA10EDAGA58441

2- मोटरसाइकिल ग्रीन यैलो बजाज सीटी 100 चेचिस नम्बर *MD2837AX4LAD52208*

3- मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर चेचिस नम्बर 00CZ0C07409

4- हीरो स्पलैण्डर काली नीली जिसका इंजन नं0- HA10EA89B61527

5- 01 तमन्चा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

6- 01 अवैध चाकू

अभियुक्त मोबीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 174/24 धारा 317(4)/317(5)/318(4)/336(2)/338/340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 200/21 धारा- 302 भादवि थाना बुडिया जिला यमुनानगर हरियाणा
3. मु0अ0सं0 243/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 266/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 264/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 253/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 178/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 297/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अकरम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 174/24 धारा 317(4)/317(5)/318(4)/336(2)/338/340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 243/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 266/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 264/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 253/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 178/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 297/24 धारा- 303(2) बीएनएस थाना नकुड जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 459/24 धारा- 323/506 भादवि थाना सदर जनपद यमुनानगर हरियाणा
9. मु0अ0सं0- 252/24 धारा- 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 (यूटी) डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 2344 प्रवीण कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 2289 धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांक:06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 05 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम \हेतु/मादक पदार्थो/अवैध असलाह की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.09.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **दो शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण 1. मुकुल पुत्र सतीश निवासी गढी मूलक न0 1 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 2. तरुण पुत्र बाबूराम निवासी गोपाल नगर थाना को0नगर जिला सहारनपुर** को ढमोला पुल जनता रोड नुमाईश कैम्प से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही से 05 मोटरसाईकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी को आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-223/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)336(2)340(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 08.08.2024 को मोटरसाईकिल UP11AU 9118 (फर्जी न0 UP11QA 4092) को हमने इण्डियन बैंक देहरादून रोड से, अभियुक्त मुकुल ने बताया कि दिनांक 15.08.2024 को मोटरसाइकिल HF DELUX UP11AE 4215 को कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित डॉ0 मोनिका सैनी के क्लीनिक के सामने से चोरी करके अलसी बाग के पास कब्रिस्तान में झाडियों में छिपा दी थी, दिनांक 25.08.2024 को मोटरसाइकिल हीरो होण्डा UP11AN 5145 (बिना नम्बर प्लेट) को कोर्ट रोड इण्डियन बैंक के पीछे से, दिनांक – 27.08.24 को मोटरसाइकिल हीरो होडा UP11X 7476 (बिना नम्बर प्लेट) इण्डियन ओवरसीज बैंक घण्टाघर से, दिनांक 05.09.2024 को मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्रो0 (बिना नम्बर प्लेट) UK 08X4096 को हमने सुनील गुप्ता के निवास श्री विष्णु मन्दिर के सामने न्यू माधोनगर नुमाइश कैम्प क्षेत्र से चोरी किया था। हम लोग मोटर साईकिल चोरी करके उनकी नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है आज हमसे चोरी की हुई 05 मोटर साईकिल बरामद आज हम चोरी की मोटर साईकिल न0 UPIIQA4092 से जा रहे थे तो आपने हमे पकड लिया साहब हमसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकुल पुत्र सतीश निवासी गढी मूलक न0 1 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
तरुण पुत्र बाबूराम निवासी गोपाल नगर थाना को0नगर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

1. UP11AU 9118 (फर्जी न0 UP11QA 4092) मु0अ0स0 194/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0नगर
2. मो0सा0 HF DELUX UP11AE 4215 (थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 233/24 धारा 303(2) बीएनएस)

3. UP11AN5145 बिना नम्बर प्लेट (थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 498/24 धारा 303(2) बीएनएस बाजार)
4. UP11X 7476 हीरो होण्डा बिना नम्बर प्लेट (मु0अ0स0 215/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर)
5. UK 08X4096 स्पलेण्डर प्रो0 रंग काला बिना नम्बर प्लेट (जिसके सम्बन्ध नही हुई)

आपराधिक इतिहास.... मुकुल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/23 धारा 379,411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर स0पुर
2. मु0अ0सं0 230/23 धारा 379,411 भादवि चालानी थाना जनकपुरी स0पुर
3. मु0अ0सं0 231/23 धारा 420,465 भादवि चालानी थाना जनकपुरी स0पुर
4. मु0अ0स0 194/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना को0नगर सहारनपुर
5. मु0अ0स0 233/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना जनकपुरी स0पुर
6. मु0अ0स0 498/24 धारा धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर
7. मु0अ0स0 215/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना को0नगर सहारनपुर

आपराधिक इतिहास.... तरुण उपरोक्त

1. मु0अ0स0 194/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना को0नगर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 233/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना जनकपुरी स0पुर
3. मु0अ0स0 498/24 धारा धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर
4. मु0अ0स0 215/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना को0नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 1342 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. का0 276 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक- 06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 महिला वारन्टी अभियुक्ता **हफीजा पत्नी नईम निवासी ग्राम कस्बा मिर्जापुर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2957/22 मु0अ0स0 53/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट को उसके मसकन से आज दिनांक 06.09.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभिययुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हफीजा पत्नी नईम निवासी ग्राम कस्बा मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 सुमन थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 294 उदित मलिक थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 1153 प्रीती थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 2500/- रुपये पीडित के खाते में कराये वापस।

अवगत करना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे साइबर अपराधो की रोकथाम व साईबर ठगी मे चोरी गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीड़ित प्रिन्स पुत्र संजय निवासी ग्राम खुदाबख्सपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा साइबर हैल्पलाईन नं0 1930 पर दर्ज कराई गई शिकायत संख्या 23105240049394 में त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये पीड़ित के 2500/- रूपये वापस कराये गये। धनराशी वापस आने पर पीडित द्वारा थाना बडगांव साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

बरामदगी का विवरण-

- 2500/- रुपये

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
4. का0 2077 मनोज कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
5. म0का0 813 सुरेखा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये ।

दिनांकः 06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 2,33,000/- रुपये पीडित के खाते में कराये वापस।

अवगत करना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी मे आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित भानु प्रताप सिह पुत्र ईसम सिह निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 15.08.2024 को पीडित द्वारा जानकारी दी गयी कि आनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से पीडित के साथ साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की गयी थी। प्रकरण के सम्बन्ध में पीडित ने साइबर हैल्पलाईन नं0 1930 पर शिकायत संख्या 23108240092366 दर्ज कराई थी। सूचना के आधार पर थाना बड़गांव साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ठगे गये 2,33,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। धनराशी वापस आने पर पीडित द्वारा थाना बडगांव साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

खाते में वापस करायी गयी धनराशि-

- 2,33,000/- रुपये

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. का0 472 मोहित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. म0का0 813 सुरेखा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक: 06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के मामलें में अभियुक्त को पी0सी0आर0 पर लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के ई-रिक्शा की बैटरी, ई-रिक्शा खरीदने की रशीद व ई-रिक्शा की नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.12.2023 को वादी गुलशाना पत्नी हमीद नि0 दुधली बुखारा थाना कोतवाल देहात जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर खुद के पति अब्दुल वहीद पुत्र मकशूद नि0 दूखली बुखारा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज करायी कि उसका पति दिनाँक 16.12.23 को घर से ई-रिक्सा चलाने गया था जो वापस नही आया। इसके उपरान्त दिनाँक 07.01.2024 को साई मन्दिर के पास माँगेराम निवासी बेहट रोड़ ग्राम मढ़ के पास बाग में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ जिसकी हत्या कर शव को फेक दिया था जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 13.01.2024 को उ0नि0 श्री दीपचन्द यादव के द्वारा थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 20/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना मृतक की पहचान अब्दुल वहीद पुत्र मकशूद नि0 दूखली बुखारा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के रुप में हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के उपरोक्त मुकदमें में शामिल **अभियुक्त सुहैल पुत्र नूर मोहम्मद नि0 रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर पूर्व से अन्य मामले में जिला कारागार सहारनपुर मे निरुद्ध था,** को आज पीसीआर पर लेकर घटना के बारे पूछताछ पर अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक अब्दुल हमीद के ई-रिक्शा की बैटरी, 02 नम्बर प्लेट ई-रिक्सा तथा ई-रिक्सा खरीदने की रशीद बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त सुहैल उपरोक्त ने बताया कि करीब एक वर्ष पहले मुझे शराव पीने की लत लग गयी थी। शराव पीने के कारण मेरे पास पैसों की वहुत तन्गी हो गयी थी। दिनांक 02.01.24 को दोपहर के बाद मुझे शाजेब बेहट अड्डे पर मिला था। तो मैने उससे कहा था कि भाई मेरे पास पैसों की वहुत तंगी चल रही है। कुछ ऐसा काम करवा दे कि खर्चे पानी को कुछ रुपये मिल जायें। तो शाजेब ने मुझसे कहा कि अड्डे पर काफी ई-रिक्शा वाले घूम रहे है। किसी ऐसे ई-रिक्शा वाले को पकड कर उसके ई-रिक्शे में सवारी वनकर वैठ जायेगे। और जंगल की तरफ ले जाकर उसका ई-रिक्शा लूट लेगें तथा उसको वेचकर काफी पैसे मिल जायेंगे, कुछ दिन का खर्चा पानी निकल आयेगा। कि कुछ देर बाद एक ई-रिक्सा वाला हमीद निवासी दूधली बुखारा आया जिसके साथ हम दोनों ने पहले भी एक दो बार शराब पी थी। और हम दोनों हमीद के रिक्शा में वैठकर बेहट रोड पर ठेके की तरफ चल दिये।तथा साँई धाम मन्दिर से आगे शराव के ठेके पर जाकर हम तीनों ने रिक्शा में वैठकर शराव पी, जब दिन छिप गया और अंधेरा हो गया तो शराव के ठेके से करीव 100 मीटर चलने के बाद सुहैल ने पेशाव करने के वहाने हमीद से ई-रिक्शा रुकवा लिया , तथा हम दोनों ने हमीद को उसके रिक्शे से नीचे खींच लिया तथा सडक के किनारे झाँडियो में ले जाने लगे। तो हमीद हाथ पैर फैंकने लगा था। हमीद ज्यादा हाथ पैर मार रहा था।

और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मै यह सारी बात पुलिस को वता दूँगा।तव मैने उसी के गमछे से उसके दोनों पैर वाँध दिये थे. तथा ई-रिक्शे में पडी एक रस्सी से हमीद का गला घोंट दिया था।कि कुछ देर में ही हमीद मर गया था। जिसके बाद हमने उसकी लाश को वहीं सडक के किनारे झाँडियो में छिपा दिया था। हमीद को ठिकाने लगाने के बाद हम दोनों लूटी हुई हमीद की ई रिक्शा को ग्राम मढ से आगे ढमोला नदी के पास ले गये थे तथा वहीं पर शाबेज व मैने सीट के नीचे देखा तो उस ई-रिक्शा में चार वैटरे थे। वही पर हमने रिक्शे के दो वैटरे निकाल लिये था। आज यह दूसरी बैटरी व अन्य सामान जो मैने यहाँ पर छिपाकर रख दी थी, आपको बरामद करा दी है।

पीसीआर पर लिये गये अभियुक्त का नाम व पताः-

सुहैल पुत्र नूर मोहम्मद नि0 रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 93/24 धारा 379/411/328 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

2.मु0अ0स0 149/24 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर

3.मु0अ0सं0 197/24 धारा 379/411/328 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

3.मु0अ0स0 20/24 धारा 302/201/394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-मृतक हमीद के--

01 बैटरी (हमीद के ई-रिक्शा की)

01 रशीद (हमीद के ई-रिक्शा खरीदने की)

02 नम्बर प्लेट (हमीद के ई-रिक्शा की)

पीसीआर पर लाने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. व0उ0नि0 सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. **महबूब पुत्र अब्बल हसन निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—2343/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर **व 2. सोल्हू पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 3941/23 धारा 380 भादवि0 चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

महबूब पुत्र अब्बल हसन निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।
सोल्हू पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त महबूब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 271/17 धारा 379/411/468/471 भादवि_ चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. वाद सं0 2343/23 व मु0अ0सं0 273/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्टtचालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त सोल्हू उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

वाद सख्या—3941/23 मु0अ0सं0 401/18 धारा-380 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांकः 06.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब एवं इसकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **वकील पुत्र शरीफ उर्फ कल्लू निवासी मौहल्ला झोटेवाला रईस का मकान बिलाल परचून की दुकान के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को लवे नाटक क्लब के पास रेलवे की बाउन्ड्री के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त वकील उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 260/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त वकील उपरोक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब की बोतल खरीद कर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वकील पुत्र शरीफ उर्फ कल्लू निवासी मौहल्ला झोटेवाला रईस का मकान बिलाल परचून की दुकान के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 55/2023 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 223/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 ओमकार सिहं, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 331 ओमपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2097 अशोक बादल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 06-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 14.08.2015 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **मौहम्मद खालिद पुत्र मौहम्मद आबिद नि0 मौ0 महल मदीना मस्जिद थाना रामपुर मनिहारान** द्वारा वादिया से 15 तोले सोना व 1 लाख रू0 लेना तथा वापस मागने पर न देना व दुष्कर्म करने का प्रयास करने की सूचना पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0-615/2020 धारा 406,376,511 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 33/2016 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 06.09.2024 को मौहम्मद खालिद पुत्र मौहम्मद आबिद निवासी मौ0 महल मदीना मस्जिद थाना रामपुर मनिहारान को मु0अ0स0-615/2020 धारा 406,376,511 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी
विवेचक उनि0 श्री पंकज धामा
पैरोकार हे0का0 994 विपिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।